पत्र संख्याः आ0सं0 / कार्यक्रम / क0नि0 / 2023–24 / 508 / राज्य कर

कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तर प्रदेश
(आन्तरिक सम्परीक्षा अनुभाग)
लखनऊ :दि0 03.11.2023

::आदेश::

कर निर्धारण कार्यालयों का जीएसटी अवधि, कर निर्धारण वर्ष 2017–18 का आन्तरिक सम्परीक्षा कार्यक्रम निम्नवत् निर्धारित किया जा रहा है:–

उप / सहायक आयुक्त / राज्य कर अधिकारी(कर निर्धारण) एवं सम्परीक्षा दल को निर्देशः–

1. जीएसटी अवधि, कर निर्धारण वर्ष 2017–18 से सम्बन्धित व्यापारी द्वारा दाखिल रिटर्न एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए न्यायनिर्णय (Adjudication) की सम्परीक्षा की जानी है।
2. उपायुक्त / सहायक आयुक्त / राज्य कर अधिकारी, सम्परीक्षा दल के पहुंचते ही खण्ड कार्यालय में वर्ष 2017–18 में पंजीकृत व्यापारियों की सूची एवं उक्त व्यापारियों को अद्दतन अवधि तक जारी ASMT-10 एवं 12, जीएसटी धारा 73(5), 74(5) के अन्तर्गत जारी DRC-07 एवं Refund Order (RFD-04, RFD-05) की सूची तथा अन्य वांछित अभिलेख / पत्रावली उपलब्ध करायेंगें।
3. सम्परीक्षा कार्यालय द्वारा सम्परीक्षा दल को सम्परीक्षा हेतु सर्वर युक्त कम्प्यूटर सिस्टम उपलब्ध कराया जायेगा। सम्परीक्षा में ऑनलाइन उपलब्ध कतिपय सूचना वांछित होने पर सम्बंधित अधिकारी द्वारा तद्नुसार उपलब्ध / मिलान कराया जायेगा।
4. मुख्यालय के परिपत्र संख्या–आई0टी0–Audit–(2023–24) / 640 / राज्य कर लखनऊ दिनांक–14.09.2023 के सन्दर्भ में Sub State Admin द्वारा सम्परीक्षा दल को पहुंचते ही निर्धारित सम्परीक्षा अवधि हेतु "View Jurisdictional record & view jurisdictional dashboard" का रोल आवंटित किया जाएगा ।
5. सम्परीक्षा दल प्रभारी सम्परीक्षा कार्यक्रम के प्रथम दिवस को रोल आवंटन एवं वांछित सूचना / अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए जाने पर सम्बंधित जोनल अपर आयुक्त से सम्पर्क करेंगें एवं अपर आयुक्त (लेखा) राज्य कर, मुख्यालय को फोन द्वारा सूचित करते हुए स्पष्ट आख्या सहित सूचना लिखित रूप में भेजेगें।
6. महालेखाकार द्वारा विभाग में केवल चयनित फर्मों की सम्परीक्षा की जा रही है। अतः कार्यालयों की सम्परीक्षा में महालेखाकार सम्परीक्षा उपरान्त आन्तरिक सम्परीक्षा विषयक मुख्यालय का कार्यालय ज्ञाप संख्या–202 दि0 26.05.2010 के निर्देश लागू नहीं होंगें।
7. सम्परीक्षा दल द्वारा समय से पहुंच कर निर्धारित समय के अन्दर ही समस्त अभिलेखों की शत–प्रतिशत सम्परीक्षा पूर्ण करनी है। सम्परीक्षा अवधि बढ़ायी नहीं जायेगी। यदि सम्परीक्षा अवधि में अवकाश पड़ रहा है तो सम्बन्धित कार्मिक उपस्थित रहते हुए सम्परीक्षा दल को अभिलेख उपलब्ध करायेंगे।
8. सम्बन्धित लेखा परीक्षक / वरिष्ठ लेखा परीक्षक कार्यालयों की आन्तरिक सम्परीक्षा, मुख्यालय के परिपत्र संख्या–16 (4) परिपत्र सामान्य– 2002–03 / 85 दि0 19.05.2003 में दिये गये निर्देशों के अनुसार सम्पन्न करना सुनिश्चित करेंगें। सम्परीक्षा दलों द्वारा सम्परीक्षा के रफनोट्स जारी किये जायेंगे तथा कार्यालय प्रभारी से जारी रफनोट्स पर बिन्दुवार आख्या प्राप्त की जायेगी।
9. सम्परीक्षा दल के सदस्यों को सम्परीक्षा अवधि में सामन्यतः किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा, किन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों में यदि किसी सदस्य को अवकाश पर जाना पड़े तो वह अपना लिखित प्रार्थनापत्र सम्परीक्षा कार्यालय के प्रभारी अधिकारी को अवकाश पर जाने के पूर्व उपलब्ध करायेंगे जो प्रार्थना पत्र को अविलम्ब अपर आयुक्त (लेखा) मुख्यालय को अग्रसारित करेंगे।
10. सम्परीक्षा दल के सदस्यों द्वारा सम्परीक्षा के दौरान जो भी आपत्ति उठाई जाती है उसमें जीएसटी / वैट अधिनियम तथा परिपत्र एवं न्यायिक निर्णयों जिनका उल्लंघन हो रहा है, का उल्लेख अवश्य किया जाय।

11. आन्तरिक सम्परीक्षा कार्यक्रम में उल्लिखित स्थानों पर ठहरने के लिए (10 दिनों से अधिक ठहराव हेतु) व्यय किया जाना अपरिहार्य है, अतः वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–3 के नियम 27 डी (2) के परिशिष्ट 10 के कमांक 2 के अनुसार 10 दिनों से अधिक का अवस्थान होने पर अवस्थान की सीमा से विमुक्त किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

–:आन्तरिक सम्परीक्षा कार्यक्रम:–

पार्टी सं0	सम्परीक्षा दल के सदस्य	तैनाती कार्यालय	सम्परीक्षा कार्यालय	सम्परीक्षा तिथि
1	श्री सत्येन्द्र उपाध्याय, व0ले0प0(प्रभारी) श्री सन्तोष प्रसाद, व0ले0प0 श्रीमती मनीषा देवी, व0ले0प0	वाराणसी वाराणसी वाराणसी	खण्ड– 5 वाराणसी खण्ड–8 वाराणसी	01.11.23 से 10.11.23 तक 20.11.23 से 30.11.23 तक
2	श्री अमिताभ सिंह, व0ले0प0(प्रभारी) श्री सावन कुमार गुप्ता, व0ले0प0	मुख्यालय मुख्यालय	खण्ड– 3 लखनऊ खण्ड– 7 लखनऊ	01.11.23 से 10.11.23 तक 20.11.23 से 30.11.23 तक
3	श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल,व0ले0प0(प्रभारी) श्री अरूण कुमार, व0ले0प0	आगरा मुख्यालय	खण्ड– 1 आगरा खण्ड–4 आगरा	01.11.23 से 10.11.23 तक 20.11.23 से 30.11.23 तक
4	श्री रज्जन लाल, व0ले0प0(प्रभारी) श्रीमती प्रणीता दीक्षित,	कानपुर कानपुर	खण्ड–5 कानपुर खण्ड–7 कानपुर	01.11.23 से 10.11.23 तक 20.11.23 से 30.11.23 तक
5	श्री विजय शंकर मौर्य व0ले0प0(प्रभारी) श्री राज कुमार मद्वेशिया, व0ले0प0	गोरखपुर गोरखपुर	खण्ड–1 गोरखपुर खण्ड–2 गोरखपुर	01.11.23 से 10.11.23 तक 20.11.23 से 30.11.23 तक
6	श्री विश्व प्रकाश सिंह, व0ले0प0(प्रभारी) श्रीमती मधु वर्मा, व0ले0प0	वाराणसी वाराणसी	खण्ड–9 वाराणसी खण्ड–15 वाराणसी	01.11.23 से 10.11.23 तक 20.11.23 से 30.11.23 तक
7	श्री अशोक गुप्ता , व0ले0प0(प्रभारी) श्रीमती दीप्ति कश्यप, व0ले0प0	लखनऊ नोएडा	खण्ड–1 लखनऊ खण्ड–2 लखनऊ	01.11.23 से 10.11.23 तक 20.11.23 से 30.11.23 तक
8.	श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, व0ले0प0(प्रभारी) श्री राम लाल, व0ले0प0	प्रयागराज प्रयागराज	खण्ड–3 प्रयागराज खण्ड–5 प्रयागराज	01.11.23 से 10.11.23 तक 20.11.23 से 30.11.23 तक
9.	श्री निहाल सिंह, व0ले0प0(प्रभारी) श्री विष्णु शंकर मिश्रा, व0ले0प0	अयोध्या अयोध्या	खण्ड–2 अयोध्या खण्ड–5 अयोध्या	01.11.23 से 10.11.23 तक 20.11.23 से 30.11.23 तक
10.	श्री अनूप कुमार द्विवेदी, व0ले0प0(प्रभारी) श्री सौरभ गुप्ता, व0ले0प0	मुख्यालय मुरादाबाद	खण्ड–5 लखनऊ खण्ड–4 लखनऊ	01.11.23 से 10.11.23 तक 20.11.23 से 30.11.23 तक

2/11/23

(मिनिस्ती एस0)
आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृं0प0सं0 व दि0 उक्त।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा, उ0प्र0, 510/217, न्यू हैदराबाद, लखनऊ।
2. अपर आयुक्त (प्रशासन), राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
3. सम्बंधित जोनल अपर आयुक्त ग्रेड–1, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
4. संयुक्त आयुक्त,(आई0टी0), राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
5. सम्बंधित सबस्टेट एडमिन (जीएसटी), राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
6. सम्बंधित संयुक्त आयुक्त,(कार्यपालक), राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
7. सम्बंधित उपायुक्त/सहायक आयुक्त (क0नि0), राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
8. सम्बंधित वरिष्ठ लेखा परीक्षक को अनुपालनार्थ।

(महा मिलिन्द लाल)
अपर आयुक्त (लेखा), राज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।